



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-3-27

क्रमांक 201/2017

आरबीई सं०-112/2017

सं० 1/9/18/भाग-1/चार

दिनांक 18-09-2017

सरिव/महाप्रबन्धक
सर्विध/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/रक्षणा
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों को पी.सी.ओ भत्ता देने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पी एण्ड ए)-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1 दिनांक 30.08.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: / यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कुते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूछरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुव एशोसियेशन/पूछरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कुते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
07 SEP 2017
महाप्रबन्धक सचिव

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 50

आरबीई सं. 112/2017

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

सं.ई(पी एंड ए)-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1

महाप्रबन्धक और मुख्य वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन
उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों को पीसीओ भत्ता देने के संबंध में।

भत्तों के संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए
निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष पीसीओ भत्ते के दरों को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 7 में सेक्शन इंजीनियर और वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर	मूल वेतन का 6%
पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 6 तक के गैर- पर्यवेक्षकीय कर्मचारी और कनिष्ठ इंजीनियर	मूल वेतन का 12%

- इन भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होंगी।
- बोर्ड के दिनांक 16.10.1989 के पत्र सं. पीसी-IV/86/एसपी/1, दिनांक 28.03.1990 के पत्र सं. पीसी-IV/89/एसपी/2 और दिनांक 31.05.1991 का पीसी-IV/89/एसपी/2 में अंतर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- किसी भी लाभ जैसे कि डीए, एचआरए, सीसीए, पेंशन, उपदान, पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पीसीओ भत्ते की गणना नहीं की जाएगी।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
- कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-1

रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एवं ए)-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल
भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेल